प्रेषक,

निदेशक,
वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ.प्र.
148, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : प्राविधक / 65 / 73 / 6291 लखनऊः 15 अक्टूबर, 2008

विषय : 01 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए कोषागार पैकेज में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–सा–31051 / दस–2008–30(9)–2003 दिनांक 14.8.2008 के अनुसार 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले राजकीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ऐसे कर्मचारियों का वेतन बिल अन्य कर्मचारियों से अलग बनाया जाय। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस बिल के साथ शासनादेश में दिये गये अनुलग्नक 2(क) को पेंशन अंशदान शेड्यूल के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा इस पर जिस लेखाशीर्षक से वेतन का आहरण हो रहा है, उसे भी पूर्ण 15 डिजिट में अंकित किया जायेगा। तथा अनुलग्नक 2(ख) को वाउचर के रूप में प्रयोग किया जायेगा और इस पर अनुदान संख्या–62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2071–01–117–03–01–20 अंकित किया जायेगा। यह प्रत्येक कर्मचारी के लिए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में स्थानानतरिक की जाने वाली धनराशि के लिये वाउचर के रूप में प्रयोग कया जायेगा।

दोनों अनुलग्नक 2(क) व 2(ख) दो दो प्रतियों में बिल के साथ संलग्न किये जायेंगे, जिसमें से एक प्रति निदेशक पेंशन तथा दूसरी प्रति महालेखाकार कार्यालय को भेजी जायेगी। इन शेड्यूल / वाउचर पर आहरण वितरण अधिकारी का मुहर सहित हस्ताक्षर भी रहना अनिवार्य है।

1. कोषागारों द्वारा 01 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वतन बिल की पोस्टिंग भी अन्य कर्मचारियों की ही भांति वेतन बिल के मीनू से ही की जायेगी। परन्तु उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन बिल की पोस्टिंग करते समय ग्रॉस डिडक्शन ऑप्शन के बाद अब एक मीनू और खुलेगा जिसमें नये कर्मचारियों को निदेशक पेंशन द्वारा आवंटित इन्डेक्स नम्बर की लिस्ट स्वतः दिखेगी, जिसमें से सम्बन्धित कर्मचारियों का इन्डेक्स नम्बर सेलेक्ट कर वर्तमान माह का अंशदान तथा इसके बाद एरियर की अवधि तथा उसकी धनराशि फीड की जायेगी।
2. दिनांक 01 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन बिलों की इण्ट्री करने पर कर्मचारी के वेतन से काटे गये पेंशनरी अंशदान की इण्ट्री लेखाशीर्षक 8342–00–117–01–01 के टियर–I में कटौती के रूप में करनी होगी। वेतन बिल मीनू (101) से इण्ट्री करने पर उपरोक्त कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार के अंशदान की डेबिट इण्ट्री अनुदान संख्या 62 लेखाशीर्षक 2071–01–117–03–01–20 में कम्प्यूटर पर स्वतः होगी और जिससे पेंशनरी अंशदान की धनराशि के बराबर धनराशि लेखाशीर्षक 8342–00–117–01–02 के टियर–I में सेवायोजक के अंशदान के रूप में स्वतः जमा हो जायेगी। दिनांक 01 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के एरियर वेतन बिलों की इण्ट्री भी उपरोक्तानुसार होगी। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि इस प्रकार इण्ट्री करने पर अब दो वाउचर नम्बर जनरेट होंगे, जिसमें से एक वाउचर नम्बर वेतन बिल का होगा जिसे शेड्यूल 2(क) पर तथा दूसरा वाउचर 2(ख) पर कोषागार द्वारा अंमित किया जायेगा।
3. कोषागारों द्वारा निदेशक पेंशन को अनुलग्नक 2 क व 2 ख की एक एक हार्डकापी के साथ साथ साफ्टकापी को बनाने

एवं कापी करने के लिए कोषागार पैकेज में रिपोर्ट मीनू से 9- Input form 9- New Pension Scheme for Pension Directorate ऑप्शन से npsmmyytt.tzt फाइल जनरेट की जायेगी। (संलग्नक के अनुसार)

4. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में प्रस्तुत किये गये बिल के इन्डेक्स नम्बर को कोषागार के कम्प्यूटर द्वारा चेक किया जायेगा। यह इन्डेक्स नम्बर कोषागार के साथ साथ आहरण वितरण अधिकारी के कोड पर मैच करेगा। यदि बिल में अंकित इन्डेक्स नम्बर कम्प्यूटर पैकेज में लोड इन्डेक्स नम्बर से मैच नहीं करता है तो बिल आपत्ति लगाकर आहरण वितरण अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा। यदि आहरण वितरण अधिकारी ऐसे कर्मचारी का पेंशनरी अंशदान हटाकर बिना कटौती के पुनः बिल प्रस्तुत करता है तो कोषागार द्वारा उस बिल को पारित कर दिया जायेगा।

5. निदेशक पेंशन द्वारा प्रत्येक माह की 05 तथा 20 तारीख को जितने भी कर्मचारियों के इन्डेक्स नम्बर जनरेट किये जा चुके हैं, उसे dci.txt.gz फाइल के द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागारों द्वारा उपरोक्त फाइल को कोषागार पैकेज में लोड करने के लिए dci.txt.gz फाइल को u/treas/forms में कापी करने के बाद I-super user 12-external interface 1-New Pension Scheme Master द्वारा लोड किया जायेगा।

6. 01 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन बिल को कोषागार के कम्प्यूटर पर पोस्टिंग करने हेतु एन.आई.सी. द्वारा पैकेज में संशोधन कर दिया गया है और संशोधित पैकेज nps.ar.gz को कम्प्यूटर पर लोड करने के लिए पत्र के संलग्नक के अनुसार अनिवार्य एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग स्कीम) के द्वारा पेंशन वितरण हेतु पैकेज ecs.tar.gz भी प्रेषित किया जा रहा है, जिसे भी संलग्नक read me के अनुसार लोड कर लें।

(राजीव श्रीवास्तव)

निदेशक।